प्रश्न-1 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के विभिन्न विकास संबंधी दृष्टिकोणों का उल्लेख करें तथा इससे प्राप्त सामाजिक न्याय की समीक्षा करें।

(200 शब्द)

मॉडल उत्तर

उत्तर- भूमिका में निम्न बातों को शामिल किया जा सकता है-

- विकास सम्बन्धित दृष्टिकोण से आशय अपनी आवश्यकता और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर विकास की रणनीति बनाना।
- भारत स्वतंत्रता से अब तक चार दृष्टिकोणों के आधार पर विकास संबंधी नीतियाँ बनाता रहा है।

विषय-वस्तु के लिए निम्न बातों पर ध्यान दें-

- भारत ने स्वतंत्रता के प्रारम्भिक वर्षो में आर्थिक संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए आर्थिक वृद्धि पर विशेष बल दिया। यहाँ माना गया कि एक बार आर्थिक वृद्धि प्राप्त कर लिया जाए तो सामाजिक विकास एवं न्याय के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है।
- विकास के इस दृष्टिकोण को Trickle Down Theory कहा जाता है।
- विकास की दूसरी अवस्था में आर्थिक वृद्धि के साथ-साथ सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाने की आवश्यकता पर बल।
- परम्परागत संरचनाएं आधुनिक विकास में बाधायें देखी गई। अतः संरचनात्मक आधुनिकीकरण पर बल।
- तीसरी अवस्था में आर्थिक वृद्धि तथा आधुनिकीकरण हो, परन्तु मानवीय मूल्यों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।
- विकास के साथ मानवीय मूल्यों पर बल।
- चौथी अवस्था में राष्ट्रीय के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय विकास पर भी ध्यान दिया गया।
- इस अवस्था में विकास के साथ मानवता पर भी विशेष ध्यान दिया गया।
- मानवता को ध्यान में रखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय मांगों के अनुरूप विकास नीति पर बल इत्यादि।
- भारत स्वतंत्रता पश्चात समय और मांग के अनुरूप सामाजिक संरचना, मानवीय पक्ष तथा मानवता के साथ सामाजिक न्याय सुनिश्चित करता रहा है।

समीक्षात्मक निष्कर्ष।

प्रश्न-2 बाल श्रमिक से आप क्या समझते हैं? इसके प्रमुख कारणों पर विचार करें तथा इनके सुधार हेतु किए गये संवैधानिक तथा वैधानिक प्रयासों की चर्चा करें।

(200 शब्द)

मॉडल उत्तर

उत्तर- भूमिका में निम्न बातों को शामिल किया जा सकता है-

- संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के सभी श्रमिक, बाल श्रमिक की श्रेणी में शामिल किये जाते हैं।
- भारत के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के सभी बालक, जिनके दिन का बड़ा हिस्सा काम करने में लगता है, बाल श्रमिक कहलाता है।

बाल श्रम के कारण :

- क्षेत्रीय तथा आर्थिक विषमता।
- निम्न जीवन गुणवत्ता।
- अभिभावकों का अशिक्षित होना तथा शिक्षा के महत्व की जानकारी का अभाव।
- शिक्षा का परम्परागत तथा रोजगार उन्मुख होना।
- दोहरी तथा महंगी शिक्षा व्यवस्था।
- वैश्वीकरण उत्पन्न प्रतिस्पर्धा में सस्ते श्रम की मांग।
- समाज में बाल श्रम के प्रति नैतिक सहमति।
- बालश्रम उन्मूलन के प्रति प्रशासनिक उदासीनता।
- समुचित पुनर्वास का अभाव इत्यादि।

उन्मूलन के संवैधानिक तथा वैधानिक प्रयास :

- संविधान के अनुच्छेद 21-A में 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार।
- अनुच्छेद 23-A मनुष्यों का जबरन व्यापार, अवैध व्यापार एवं बालश्रम का निषेध।
- अनुच्छेद 29-(e), (f) में श्रमिकों एवं बच्चों आदि के शक्ति एवं स्वास्थ के दुरूपयोग को रोकने एवं उन्हें स्वस्थ वातावरण प्रदान करने का निर्देश।
- अनुच्छेद 45, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा का निर्देश।
- अनुच्छेद 51(K) बच्चों को शिक्षा प्रदान करना अभिभावकों का कर्तव्य।
- कारखाना अधिनियम 1948, बागान अधिनियम 1951, खाद्यान्न अधिनियम 1952, मोटर परिवहन अधिनियम, 1968
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2019
- बाल श्रम प्रतिबन्ध एवं विनियमन अधिनियम 1986, 2006, 2016 तथा 2017 इत्यादि।

अंत में संक्षिप्त निष्कर्ष दें।

प्रश्न-3 भारत के अति संवेदनशील वर्गों को स्पष्ट करें तथा इनसे जुड़ी समस्याओं की संक्षिप्त चर्चा करें।

(200 शब्द)

मॉडल उत्तर

उत्तर- भूमिका में निम्न बातों को शामिल किया जा सकता है-

- अतिसंवेदनशील वर्ग से आशय ऐसे वर्ग से है, जिनके प्रति समाज का नकारात्मक दृष्टिकोण देखा गया है तथा उनको विशेष अधिकार तथा संरक्षण की आवश्यकता है।
- इस वर्ग में महिला, बच्चे, बूढ़े, ट्रांसजेंडर, दिव्यांग, अल्पसंख्यक, असंगठित तथा अनुसूचित जाति/जनजातियों को शामिल किया जाता है।

विषय वस्तु के लिए निम्न बातों पर विचार करें-

- महिलाओं से सम्बन्धित सुरक्षा, सम्मान और समानता का व्यवहार के साथ आर्थिक सशक्तिकरण।
- बच्चों की शिक्षा, उचित पोषण तथा शोषण की समस्या।
- बुजुर्ग नागरिकों का उचित भावनात्मक सहयोग तथा देखभाल की समस्या।
- ट्रॉंसजेंडर की सामाजिक स्वीकार्यता, रोजगार तथा शिक्षा की समस्या।
- दिव्यांगों के प्रति स्वीकार्यता तथा नकारात्मक दृष्टिकोण की समस्या।
- अल्पसंख्यक वर्गों में सुरक्षा संरक्षण तथा स्वीकार्यता।
- असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के हितों की रक्षा तथा पुनर्वास।
- अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के अधिकारों की रक्षा तथा मानवाधिकार इत्यादि।

अंत में संक्षिप्त निष्कर्ष दें।

प्रश्न-4 वैश्वीकरण ने लोककल्याणकारी राज्य की भूमिका को सीमित किया है। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण करें।

(200 शब्द)

मॉडल उत्तर

उत्तर- भूमिका में निम्न बातों को शामिल किया जा सकता है-

- वैश्वीकरण से आशय एक देश/क्षेत्र के वस्तुओं तथा घटनाओं का वैश्विक रूपान्तरण जिसके द्वारा विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में बढ़ोत्तरी हो जाती है।
- वैश्वीकरण ने विभिन्न देशों की आर्थिक क्रियाओं को बढ़ाकर लोक कल्याणकारी राज्यों को आर्थिक रूप से सशक्त किया है, जिसके सकारात्मक तथा नकारात्मक परिणाम देखें गए।

विषय वस्तु के लिए निम्न बातों पर विचार करें-

- वैश्वीकरण के कारण विभिन्न क्षेत्रों में निजी निवेश बढ़ा है।
- आर्थिक तथा प्राकृतिक संसाधनों पर निजी क्षेत्र का स्वामित्व बढ़ा है।
- अवसंरचना विकास में निवेश तथा वृद्धि हुई है।
- अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है।
- कृषि श्रमिकों का सीमांतीकरण तथा लोगों की क्रय क्षमता में वृद्धि हुई है।

उपरोक्त विकास कार्यों से लोककल्याणकारी राज्यों की भूमिका सीमित अवश्य हुई है, परन्तु अभी भी भारत में व्याप्त भौगोलिक, आर्थिक तथा असंतुलित विकास के कारण सामाजिक न्याय के लिए लोककल्याणकारी राज्यों की भूमिका प्रासंगिक है, जिसे निम्न रूपों में देखा जा सकता है।

- अकुशल श्रमिकों की छटनी।
- असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिकों में वृद्धि।
- निजी क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के कारण राज्य कमजोर, फलतः अतिसंवेदनशील वर्गों में वृद्धि।
- निजी क्षेत्र द्वारा मांग की पूर्ति पर बल, न कि आवश्यकता की पूर्ति पर।
- फलतः सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने से लोककल्याणकारी राज्यों की भूमिका बढ़ी है।

अंत में संक्षिप्त निष्कर्ष।